

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 97 / प्र0अ0-भवन / जोन-3 / 2011-12 दिनांक 27 / 03 / 2012

विनियमितीकरण

यह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अर्न्तगत विनियमित किये जा रहे हैं, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित व्यवसायिक/आवासीय भवन मानचित्र विनियमित किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मित्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री राकेश चन्द्र केसरवानी पुत्र श्री सुरेश चन्द्र स्थल भवन संख्या-990, पुराना 1456 नया (पार्ट) मुठ्ठीगंज, इलाहाबाद जोन संख्या (3) के अर्न्तगत दाखिल व्यवसायिक/आवासीय भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
4. स्थल पर एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
5. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य स्वतः पूर्ण करना होगा।
6. द्वितीय तल पर 2.65 वर्गमीटर के अशमनीय भाग जो विनियमित मानचित्र पर हरे रंग से दर्शित किया गया है, इसे विनियमित मानचित्र प्राप्त होने के 15 दिन के अर्न्तगत आपको स्वतः हटवा कर विकास प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
7. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अर्न्तगत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
8. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भूखण्डों का उप-विभाजन अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इ0वि0प्रा0 द्वारा नियमानुसार उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी।
9. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
10. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
11. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
12. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अर्न्तगत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

श्री महेश चन्द्र
F.E.A.D.M.
प्राधिकृत सूची पर सूचित
दिनांक 29.3.12

(सीमा सिंह)

संयुक्त सचिव / प्र0अ0-भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद

प्रस्तावित 2027/11/50 300 (5.50) 10805 11-12
दि. 20.07.2012

यह खींच/निर्माण अनधिकृत है। पूर्णता प्राप्त करने के बाद ही इस परिकर का आधिकारिक उपयोग किया जा सकेगा।

शुद्धीकरण/प्राचीन-प्राचीन इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जारी है।

श. मुक्ति 2012/12
शहर नियोजन विकास प्राधिकरण इलाहाबाद

अनुमति संख्या (वि. सं.) विकास प्राधिकरण इलाहाबाद
अनुमति संख्या (वि. सं.) विकास प्राधिकरण इलाहाबाद

NOC
COMP. Calculation, M- DISMANSI (Comp. area)
F. S. B. = 0.80 X 4.26 = 1.27 750 X 6.26 = 4.83 M

Legend-		50 M
EXISTING WORK SHOWN	[Hatched Box]	50 M
COMP. WORK SHOWN	[Dotted Box]	50 M
NON COMP. WORK SHOWN	[White Box]	50 M
AREA DETAIL		
TOTAL AREA		66.83
EXISTING COVD. G.F.L.		55.18
COMP. COVD. F.F.L.		54.72
NON COMP. F.F.L.		36.04
NON COMP. 2ND FL.		3.83
OPEN AREA G.F.L.		30.29
OPEN AREA P.F.L.		11.15

REMARKS

1. THIS HOUSE IS BEING CONSTRUCTED IN THE YEAR 2012 UNDER THE PLAN NO. 2006/25/1331R/2/R/2


2. F.A.R. = 2.20 ACRES

3. EXISTING & COMP. BUILDING PLAN OF HOUSE NO- 990 (OLD), 1456 (NEW), PART PORTION, AT MOHALLA- MUTTHI GANJ, PERGANA & TEHSHIL SADAR, DISTT-ALLAHABAD. S=1100

4. OWNER- SRI RAKESH CHANDRA KESHAR-WANI

5. SRI SURESH CHANDRA AARYA

A.K BUILDING EXPERT ANIL KUMAR GUPTA (Civil Engg)
(Off.) 566480, Shahganj, Allahabad




SITE PLAN
D = 200 X 2400
D₁ = 750 X 22.00
W = 17.38 X 22.00
RS = 2150 X 40
LS = 20 X 150
V = 50 X 25


Comanacee

EXISTING & COMP. BUILDING PLAN OF HOUSE NO- 990 (OLD), 1456 (NEW), PART PORTION, AT MOHALLA- MUTTHI GANJ, PERGANA & TEHSHIL SADAR, DISTT-ALLAHABAD. S=1100


OWNER- SRI RAKESH CHANDRA KESHAR-WANI
SRI SURESH CHANDRA AARYA




FIRST FL PLAN 2nd FL PLAN TERRACE PLAN



KEY PLAN



GROUND FLOOR PLAN EXIST
FRONT ELEVATION



SECTION AT 08